



शहर एवं ग्राम्य नियोजन विमाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विमागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

			भाजपट प) ।पपरण		
1. कॉलोनाइज़र/डेवलपर	सिग्नेचर बिल्डिस प्राइवेट लिमिटेड					
 प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति 	लाइसेंस नं. / वर्ष — 51 / 2019 दिनांक : 06.03.2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि : 08.08.2019. मेमो न.: ZP-1110/AD(RK)/2019/19109. हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 51 of 2019 dated 09.09.2019					
3. स्थान	सेक्टर 93, गुरुग्राम, हरियाणा।					
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5 एकड़ में कुल 720 अपार्टमेंट में से 278 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% पलैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑगनवाड़ी—सह—क्रेश।					
 अपार्टमेंट के विवरण 	, आवंटन दर और	भुगतान के नियम	Г			
अपार्टमेंट के विवरण						
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर (20% + 12.5%)**
2 BHK TYPE -01	118	539.384	78.114	21,96,593.00	109,830.00	713,895.00
2 BHK TYPE -02	7	603.677	76.058	24,52,737.00	122,637.00	797,140.50
2 BHK TYPE -03	106	594.916	70.849	24,15,088.50	120,754.00	784,901.00
2 BHK TYPE -04	47	577.112	79.029	23,47,962.50	117,398.00	763,087.00
दिनांक 05, जुलाई, 20	19 द्वारा किफायती	अवास नीति 2013 र	मे संशोधन किया गया है	सेक किश्तों में देय राशि के l भुगतान की नियत तिथि से प यम, 2017 के नियम 15 में प्राव	हले कोई ब्याज नहीं लगेगा ।	ा संख्या पीएफ-27/15922 भुगतान में किसी चूक के
6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।					
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़िकयाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है।					
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र और ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है, आवेदन युत्क 1000 रुपये का भुगतान करके 21.05.2020 से शुरू हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए 7053—121—121 पर कॉल करें ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 20.06.2020. यह परियोजना आम जनता के लिए 21.05.2020 पर खोली गई थी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.06.2020 थी, जिसे आगे 05.07.2020 तक बढ़ा दिया गया है। iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।					

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लामार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पित) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना — सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद करें एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पित) या अश्रित सत्तान को प्राथमिका दी जाएगी। इसके बाद किसी कोलंनी ने स्थान पत्नी पत्नी के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अभ्य किसी कोलंनी में अप पत्नी लाइसेंस्ड कोलंनी में अपना पत्नी हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अभ्य किसी कोलंनी में अप पत्नी के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अभित के तहत अपन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक पत्नीट चुनना होगा।

<mark>आवंटन के मानक</mark>: 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि त्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध ज़िले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्वारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवंदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्वारित समय सीमा के लिए आवंदक अफोर्डेबल ग्रूप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विमागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं।







SIGNATURE BUILDERS PRIVATE LIMITED | CIN: U70101DL2011PTC220275

Regd. Office - 1309, 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in


HOME LOAN PARTNER











noter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore sets of to make personal judgment prior to submittion an application for allotiment. The images shown here are indicated of design and for illustration purposes only. Further social design may not yn if that of insider from the more distingted above. Project details, perspections can sale be accessed at the force of Harpans Real Estate Regulation purpose so that the second social project of the sale and the second social project of the second s

